सांध्य दैनिक

स्थापना-वर्ष 1995

जनमत युग

संपादक : पी.डी. सोनी

सह संपादक : श्याम सोनी

वर्ष : 26 अंक 155 | ग्वालियर, शुक्रवार 5 अप्रैल 2024 | मूल्य : 2 रुपया, पृष्ठ : 8

मोदी बोले-कांग्रेस ने राम मंदिर पर एडवाइजरी जारी की

अपने लोगों से मुंह पर ताला लगाने को कहा, उन्हें लगता है कि राम का नाम लिया तो राम-राम न हो जाए

चूरू। राजस्थान के चूरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते 10 साल में हमने कई काम किए हैं, लेकिन ये बहुत कम है। अभी तक जो मोदी ने किया है, वो तो सिर्फ बड़ी होटलों में मिलने वाला स्टार्टर (एपेटाइजर) है, अभी तो खाने की पूरी थाली बाकी है।

उन्होंने तीन तलाक पर कहा कि यह कानून हमारी मुस्लिम बहनों की मदद कर रहा है। वे यह समझें कि यह तीन तलाक आपके जीवन पर तो खतरा था ही, मोदी ने आपकी रक्षा तो की है, लेकिन मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की भी रक्षा की है।

प्रधानमंत्री ने राममंदिर, भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर कांग्रेस व विरोधियों को घेरा।

पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने तो राममंदिर पर एडवाइजरी जारी की है। अपने लोगों से मुंह पर ताला लगाने को कहा है। उन्हें लगता है कि भगवान राम पर कुछ बोला तो कहीं राम-राम न हो जाए।

चूरू से भाजपा ने पैरालंपियन देवेंद्र झाझड़िया को उतारा है। वहीं, कांग्रेस ने भाजपा छोड़कर हाल ही में पार्टी का दामन थामने वाले राहुल कस्वां को टिकट दिया है।

UP मदरसा एक्ट रद्द करने के फैसले पर रोकः

सुप्रीम कोर्ट ने कहा-17 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा, दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करना ठीक नहीं

लखनऊ। एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इसके साथ ही केंद्र और यूपी सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले से 17 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा। छात्रों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने का निर्देश देना ठीक नहीं है।

22 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है। साथ ही क्सरकार को एक स्कीम

बनाने को कहा है, ताकि मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूण, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की। बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट प्रथम दृष्टया सही नहीं है। ये कहना गलत होगा कि यह मदरसा एक्ट धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है।

कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 न्याय, 25 गारंटीः

400 रु. मजदूरी, गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख, MSP कानून और जाति जनगणना का वादा

नई दिल्ली। एजेंसी

लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को 48 पेज का घोषणा पत्र जारी किया। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया, राहुल, खड़गे और मेनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदंबरम ने 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया। पार्टी के घोषणा पत्र में मजदूरी 400 रुपए दिन करने, गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपए देने, MSP को कानून बनाने और जाति जनगणना कराने का जिक्र है।

कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर और किसान पर फोकस किया है। इन सभी वर्गों के

लिए अलग-अलग तरह की स्कीम्स का वादा किया गया है। पार्टी ने कहा है कि उसका घोषणा पत्र वर्क, वेल्थ और वेलफेयर पर आधारित है। यहां वर्क के मायने रोजगार, वेल्थ के मायने आमदनी और वेलफेयर के मायने सरकारी स्कीम्स के फायदे दिलाना है।

संजय सिंह बोले- शराब घोटाला भाजपा ने किया है

AAP के खिलाफ बयान देने वाला मंगुटा अब NDA से चुनाव लड़ रहा

नई दिल्ली। एजेंसी

AAP नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शराब घोटाले के पीछे भाजपा का हाथ बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है।

जांच एजेंसी ED ने TDP सांसद मंगुटा रेड्डी और उनके पिता राघव रेड्डी पर दबाव डालकर केजरीवाल के खिलाफ बयान दिलवाया है।

संजय सिंह ने आगे कहा कि मंगुटा रेड्डी अब प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल, आंध्र प्रदेश में तेलगु देशम पार्टी (TDP), NDA की सहयोगी पार्टी है।

सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बुधवार शाम संजय सिंह तिहाड़ जेल से रिहा हुए। वे छह महीने से जेल में बंद थे।

आप नेता मनीष सिसोदिया बोले- जल्दी ही बाहर मिलेंगे

जमानत पर सुनवाई से एक दिन पहले चिट्ठी सामने आई, कहा- लव यू ऑल

नई दिल्ली।

दिल्ली शराब नीति केस में 26 फरवरी 2023 से जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने तिहाड़ से अपने विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज के लोगों को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने कहा- जल्द ही बाहर मिलेंगे। शिक्षा क्रांति जिंदाबाद, लव यू ऑल। मनीष सिसोदिया ने यह चिट्ठी 15 मार्च को लिखी थी। हालांकि, आम आदमी पार्टी ने इसे अपने ङ्क प्लेटफॉर्म पर आज 5 अप्रैल को जारी किया। सिसोदिया ने

कहा- अंग्रेजों को भी अपनी ताकत का बहुत ज्यादा घमंड था। अपनी सत्ता के दम पर वे जिसे चाहते उस पर झूठे आरोप लगाकर जेल में डाल देते थे।

सिसोदिया ने कहा- जिस तरह अंग्रेजों की तानाशाही के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़कर आजादी का सपना सच हुआ था। उसी तरह देश के हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलने का सपना भी जरूर पूरा होगा। सिसोदिया की जमानत पर 6 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है।

जयशंकर बोले- UN भारत में चुनाव की चिंता न करेः

UN ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा था- वोटिंग निष्पक्ष हो, सबको बराबरी का हक मिले

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत में निष्पक्ष चुनाव को लेकर ह को चिंता करने की जरूरत नहीं है। विदेश मंत्री जयशकंर ने केरल के तिरुवनंतपुरम में लोकसभा चुनाव के लिए अपने मंत्रिमंडल सहयोगी और भाजपा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर के लिए प्रचार के दौरान ह की एक टिप्पणी का जवाब दिया।

उन्होंने कहा, किसी भी ग्लोबल बॉडी को हमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि भारत में चुनाव कैसे होना चाहिए। मेरे साथ भारत के लोग हैं। भारत के लोग यह सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हों। इसलिए, इसके बारे में चिंता न करें।

दरअसल, 29 मार्च को UN जनरल सेक्रेटरी के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा था, हम उम्मीद करते हैं कि भारत में सभी के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। भारत में चुनाव का समय है, ऐसे में सभी नागरिकों को निष्पक्ष माहौल में वोट डालने का मौका मिलना चाहिए।

भारत के सभी राजनीतिक दल ध्यान दीजिएगा !

राजनीतिक दल अपने संवादों, भाषणों में विकलांगजनों के साथ सम्मानजनक तरीके से पेश आए - चुनाव आयोग का दिशानिर्देश

सभी समुदायों के चुनावी प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व से ही सही माईना से लोकतंत्र की बुनियाद निहित है

निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के नेताओं से भाषणों में दिव्यांगों पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने की चेतावनी सराहनीय - एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर दुनियां के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक चर्चा में दिव्यांगों दिव्यांग समुदाय के प्रति समावेशी और सम्मान के भाव को प्रोत्साहित करने के लिए आजादी के बाद पहली बार राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों के लिए दिशा निर्देशों का एक सेट दिनांक 21 दिसंबर 2023 को जारी किया है। यह कदम आयोग ने पहली बार उठाया है और कहा है कि राजनीतिक विमर्श/अभियान में दिव्यांगजनों को न्याय और सम्मान देना होगा, इसके साथ परामर्श भी जारी किए हैं कि हर राजनीतिक दल को अपने अनेक सेवाकार्यों निर्णय, नीतियों में दिव्यांगजनों को सहभागी बनाएं ताकि उनके जीवन में उत्साह सकारात्मक जीवन जीने का आभास नजर आए। आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों को किसी भी सार्वजनिक बयान, भाषण के दौरान, अपने लेखन, लेख आउटरेज सामग्री, टीवी डिबेट में या राजनीतिक अभियान में दिव्यांग जनों या दिव्यांगों पर गलत अपमानजनक, अपमानजनक संदर्भों का उपयोग नहीं करना चाहिए। हाल ही में, आयोग को राजनीतिक विमर्श में दि०?यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के बारे में अपमानजनक या आक्रामक भाषा के उपयोग के बारे में अवगत कराया गया है। किसी भी राजनीतिक दल के सदस्यों या उनके उम्मीदवारों द्वारा भाषण/प्रचार-अभियान में इस तरह की भाषा का उपयोग दिव्यांगजनों के अपमान के रूप में समझा जा सकता है। समर्थवादी या एबलिस?ट भाषा के सामा?य उदाहरण ङ्क गूंगा, पागल, सिरफिरा, अंधा, काना, बहरा, लंगड़ा, लूला, अपाहिज आदि शब्द हैं। ऐसी अपमानजनक भाषा के उपयोग से बचना अ?यंत आवश्?यक है। राजनीतिक विमर्श/अभियान में दिव्यांगजनों को आदर और सम्मान दिया जाना चाहिए।चूंकि सभी समुदायोंके चुनावी प्रक्रियामें प्रतिनिधित्व में ही सही महीना में लोकतंत्र की बुनियाद निहित हैइसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे राजनीतिक दल अपने सवांदों भाषणों में दिव्यांगजनों के साथ सम्मानजनक तरीके से पेश आए, ऐसा चुनाव आयोग का फरमान आया।

साथियों बात अगर हम दिनांक 21 दिसंबर 2023 को चुनाव आयोग द्वारा जारी राजनीतिक दलों के लिए दिशा निर्देशों की करें तो, दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं ये हैं (1) राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों को किसी भी सार्वजनिक बयान/भाषण के दौरान, अपने लेखन/लेख/आउटरीच सामग्री या राजनीतिक अभियान में निःशक्तिता/दिव्यांगजनों पर गलत/अपमानजनक/निरादरयुक्त संदर्भों का उपयोग नहीं करना चाहिए।(2) राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों को किसी भी सार्वजनिक भाषण के दौरान, अपने लेखन/लेखों या राजनीतिक अभियान में मानवीय

अक्षमता के संदर्भ में निःशक्तंता/दिव्यांगजनों का या निःशक्तेता/दिव्यांगजनों को निरूपित करने वाले शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए।(3)राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों को निःशक्तपता/ दिव्यांगजनों से संबंधित ऐसी टिप्पणियों से सख्ती से बचना चाहिए जो आक्रामक हो सकती हैं या रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों को कायम रख सकती हैं(4)ऐसी भाषा, शब्दावली, संदर्भ, उपहास, अपमानजनक संदर्भ के उपयोग या दिव्यांगजनों का अपमान जैसा कि बिंदु (द्व), (द्वद्व) और (द्वद्वद्व) में उल्लिखित है, पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 92 के प्रावधान लागू हो सकते हैं।(5)भाषणों, सोशल मीडिया पोस्ट, विज्ञापनों और प्रेस विज्ञप्तियों सहित सभी प्रचार अभियान सामग्रियों की राजनीतिक दल के भीतर आंतरिक समीक्षा अवश्य की जानी चाहिए ताकि लोगों/दिव्यांगजनों के प्रति सक्षमवादी भाषा, चाहे वह आक्रामक या भेदभावपूर्ण, सक्षमवादी भाषा के दृष्टांतों की पहचान और दोष-सुधार की जा सके।(6) सभी राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए और अपनी वेबसाइट पर घोषित करें कि वे निःशक्त ता एवं जेंडर की दृष्टि से संवेदनशील भाषा और शिष्ट भाषा का उपयोग करेंगे और साथ ही अंतर्निहित मानवीय समानता, समता, गरिमा और स्वायत्तता का सम्मान करेंगे।(7) सभी राजनीतिक दल सीआरपीडी (दिव्यांगजनों के अधिकारों पर कन्वेंशन) में उल्लिखित अधिकार-आधारित शब्दावली का उपयोग करेंगे और किसी भी प्रकार की अन्य शब्दावली के उपयोग से बचेंगे।(8) सभी राजनीतिक दल अपने सार्वजनिक भाषणों/अभियानों/कार्यकलापों/कार्यक्रमों को सभी नागरिकों के लिए सुलभ बनाएंगे। (9) सभी राजनीतिक दल अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया विषय-वस्तु को डिजिटल रूप से अभिगम्य बनाएंगे, ताकि दिव्यांगजन सुगमतापूर्वक इंटरएक्शन कर सकें।(10) सभी राजनीतिक दल राजनीतिक प्रक्रिया के सभी स्तरों पर पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए दिव्यांगता पर एक प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान कर सकते हैं और सक्षम भाषा के उपयोग से संबंधित दिव्यांगजनों की शिकायतों को सुनने के लिए नोडल प्राधिकारी नियुक्त करेंगे। (11) राजनीतिक दल पार्टी और जनता के व्यवहार संबंधी अवरोध को दूर करने और समान अवसर प्रदान करने के लिए सदस्यों और पार्टी कार्यकर्ताओं जैसे स्तरों पर अधिक दिव्यांगजनों को शामिल करने का प्रयास कर सकते हैं।

साथियों बात अगर हम चुनाव आयोग के दिव्यांगजनों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य की करें तो, निर्वाचन आयोग ने, सिविल सोसाइटी जैसे अन्य हितधारकों के साथ मिलकर सुगम और समावेशी चुनावों के अपने समग्र उद्देश्य को हासिल करने के लिए दिव्यांगजनों को भागीदारी करने के लिए प्रेरित करने और उ-?हें सुविधा प्रदान करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। यह उद्देश?य पूरी तरह से तभी साकार होगा, जब राजनीतिक दल और उम-?मीदवार भी इस नेक काम में शामिल होंगे और सभी दिव्यांगजनों के साथ सम-?माजनक तथा गरिमापूर्ण व?यवहार करेंगे। यह हमारा संयुक्त कर्तव्य और प्रयास होना चाहिए कि हम सभी के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें और एक ऐसा समाज बनाएं जो निःशक?तता के आधार पर भेदभाव न करे। यद्यपि मतदाताओं को मतदान केंद्र पर आने और उ-?हें सुरक्षित, सुविधाजनक तथा सुखद मतदान का अनुभव कराने की कोशिश की है, फिर भी आयोग ने घर पर मत देने की सुविधा भी प्रदान की है। 40 प्रतिशत की बेंचमार्क दि०?यांगता वाले दि०?यांग मतदाता इस वैकल्पिक सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। हाल के चुनावों में, इस सुविधा की लोकप्रियता काफी बढ़ी है और समुदाय में इसे सराहा गया है।दि०?यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में दि०?यांगजनों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 7 सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, हिंसा और शोषण से सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 92 में ऐसे अपराधों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। दि०?यांगजन अपने वोट डाल सके, इसके लिए विगत वर्षों में, वोट डालने के लिए अनुकूल परिवेश तैयार करने के लिए दिशानिर्देशों और सुविधाओं का एक सुव्यवस्थित फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। इन सुविधाओं में मतदान केंद्र का भूतल पर स्थित होना, ईवीएम की बैलेट यूनिट पर ब्रेल संकेतक का होना, उचित ढाल वाले रैंप का निर्माण करना, दिव्यांगजनों के लिए अलग कतारों की व्यवस्था करना (मतदान केंद्र में प्रेवश देने में उन्हें प्राथमिकता देना), व्हीलचेयर की व्यवस्था करना और मतदान की प्रक्रिया का वर्णन करने वाले संकेतकों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था आदि शामिल है।

बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता अब घर बैठे वोट देकर सरकार बना या गिरा सकनें में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं

बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर से वोट देने पंजीकरण प्रक्रिया, सक्षम ईसीआई एप चुनाव आयोग द्वारा जारी

दिव्यांगों और बुजुर्गों के घर दो चुनाव अधिकारी वीडियोग्राफर सुरक्षाकर्मीयों साहित एक टीम एसएमएस किए टाइम पर चुनाव के दिन वोट लेने पहुंचना सराहनीय- एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया

गोंदिया- वैश्विक स्तरपर दुनियां के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में करीबकरीब हर चुनाव मेंस्थितियों परिस्थितियों के अनुसार अनेक सुधार कार्य करते हुए संशोधन सहयोग व सुविधाएं प्रदान कर समस्याओं शिकायतों का निवारण त्वरित किए जाने की ओर कदम बढ़ाए जाते हैं।उदाहरण के रूप में हमसी विजिल एप,कठोर आचार संहिता व अभी दिनांक 3 अप्रैल 2024को जारी सक्षम ईसीआई एप सहित अनेक कदम उठाए जाते रहे हैं,जिसमें मतदाताओं को वोट देने में उचित सुगमता व सुविधाएं प्रदान होती है।अक्सर हम देखते हैं कि मतदाताओं में एक बड़ा वर्ग बुजुर्गों व दिव्यांगों को अपना मताधिकार का प्रयोग करने में दिक्कतों का

सामना करना पड़ता है,जो चाहे अस्वस्थता,उम्रदराज या दिव्यांगता कारण हो सकता है, जिससे मतदान प्रतिशत में गिरावट होती है जिसपर चुनाव आयोग नें संज्ञान लेते हुए दिनांक 3 अप्रैल 2024को सक्षम ईसीआई एप जारी कर दी है, जिसमें बुजुर्गों व दिव्यांगों के संचार माध्यम से एक प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, जिसके आधार पर उनके घर में दो चुनाव अधिकारी एक वीडियो ग्राफर सुरक्षाकर्मी सहित एक टीम पहुंचेगी और उनके घर बैठे ही वोट लेकर जाएगी जो काबिले तारीफ है। चूंकि अब घर से वोट देने की प्रक्रिया विकलांगों बुजुर्गों के लिए शुरू करने एप पंजीकरण के लिए जारी कर दी गई है,इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे,बुजुर्ग दिव्यांगमतदाता अब घर बैठे ही वोट देकर सरकार बना या गिर सकनें में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने में सक्षम हो गए हैं।

साथियों बात अगर हम 85 वर्ष के बुजुर्गों, 40 प्रतिशत या अधिक वाले दिव्यांगों को घर से मतदान की सुविधा की करें तो,इस बार चुनाव आयोग ने 85 साल से ऊपर के लोगों को अपने घरों से वोट डालने की अनुमति देने का फैसला किया है। इसलिए अधिकारियों ने कहा कि यह संख्या लगभग तीन लाख तक कम हो जाएगी। यह पहली बार है कि लोकसभा चुनाव में पात्र मतदाताओं को यह सुविधा उपलब्ध होगी। अक्टूबर 2019 में चुनाव आयोग की सिफारिश पर कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा चुनाव संचालन नियम, 1961 में संशोधन किया गया था। इसके बाद, 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोग और दिव्यांगजन 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में डाक मतपत्रों केमाध्यम से वोट डालने में सक्षम हो गए थे। इस बार लोकसभा चुनाव में 85 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और 40 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांगता वाले व्यक्ति घर से ही अपना वोट डाल सकेंगे। चुनाव आयोग ने इसके लिए विशेष प्रबंध किए हैं। भारतीय चुनाव आयोग के मुताबिक, देश भर में 85 वर्ष से अधिक के कुल 82 लाखमतदाता हैं। 100 साल से ज्यादा उम्र के 2.18 लाख मतदाता हैं और दिव्यांगजनों की संख्या 88.4 लाख है। सक्षम ऐप से मिलेगी सुविधा,आयोग के मुताबिक घर से वोट डालने के इच्छुक ऐसे मतदाताओं को एक फॉर्म भरना होगा। इसके लिए एक ऐप का उपयोग किया जा सकता है। फॉर्म भर कर जमा करवाने के बाद बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाता अपने घर से ही मतदान कर सकेंगे।

दाग का राग

पिछले साढ़े सात दशक के भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक पराभव के अक्स गाहे-बगाहे उजागर होते रहते हैं। सत्ता के खेल जो विद्रूप न दिखा दें वो कम ही है। सत्ता केंद्रित राजनीति ने भ्रष्टाचार और पाक-साफ होने की अपनी-अपनी परिभाषा गढ़ ली है। कल तक विपक्ष में जो नेता दागदार होते थे, सतारूढ़ दल में शामिल होने के बाद कहा जाता है कि ये दाग अच्छे हैं। सफाई की इस कार्रवाई में निगरानी करने वाली संवैधानिक एजेंसियों की खामोशी भी विचलित करती है। ऐसे तमाम सवाल इस देश के नागरिकों को उद्वेलित करते रहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि दागी नेता सत्ता की धारा में डुबकी लगाकर दूध का धुला घोषित हो जाता है। विपक्षी नेता आरोप लगाते रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल को दाग धोने वाली वॉशिंग मशीन बना लिया गया है। जिसके चलते नियामक संस्थाओं से ड्राइक्लीनिंग की चिट हासिल हो जाती है। विपक्ष के ऐसे तमाम आरोपों की तार्किकता हाल में आई एक रिपोर्ट दर्शाती है। जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2014 के बाद भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का सामना कर रहे 25 विपक्षी नेताओं के सत्तारूढ़ दल में शामिल होने के बाद उनमें से 23 को राहत मिल गई है। इनमें से तीन मामले बंद हो गए हैं और बीस की जांच रुकी हुई है। दलील दी जा रही है कि जांच बंद नहीं हुई है, आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जाएगी। यूं तो जब ये नेता विपक्ष में होते हैं और जांच एजेंसियां उन पर कार्रवाई करती हैं तो सत्तारूढ़ दल की दलील होती है कि कानून अपना काम करता है। जबकि विपक्षी नेताओं का आरोप रहता है कि यह प्रक्रिया तभी तक चलती है जब तक यह राजनीति से प्रेरित न हो। उल्लेखनीय है कि भाजपा में जो पच्चीस राजनेता शामिल हुए हैं उनमें सभी राजनीतिक दलों के नेता हैं। जिसमें कांग्रेस, राकांपा, शिवसेना, टीएमसी, टीडीपी, एसपी और वाईएसआर कांग्रेस के नेता शामिल हैं। विडंबना है कि राजनीतिक निष्ठा बदलना इन नेताओं के लिये राहतकारी साबित हुआ है। वजह यह कि इन नेताओं से जुड़े बीस मामले ठंडे बस्ते में डाल दिये गए हैं। दलील यह दी जाती है कि मामले बंद नहीं हुए हैं, जरूरत पड़ी तो जांच और कार्रवाई भी होगी। जो विपक्ष के उन आरोपों की पुष्टि करते हैं कि यह कार्रवाई राजनीतिक दुराग्रह के रूप में की जाती रही है। ह्यथही वजह है कि दल बदलने का फैसला राहत का रास्ता मान लिया जाता है। ऐसे में आम आदमी के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि अचानक जांच एजेंसियां निष्क्रिय क्यों हो जाती हैं? क्यों किसी एजेंसी को लेकर अदालत को कहना पड़ता है कि फलां एजेंसी पिंजरे में बंद तोता है और मालिक की बोली बोलता है।

मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर किया पलटवार, कहा-

प्रधानमंत्री लोगों की जिंदगी बदलने का अभियान चला रहे

भोपाल। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे राजनीतिक दल एक-दूसरे पर वार-पलटवार करने से भी नहीं चूक रहे हैं। प्रदेश में सत्ताधारी भाजपा और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर मतदाताओं को साधने में जुट हुए हैं।इसी कड़ी में राहुल गांधी के संविधान बदलने के लिए 400 सीट चाहिए वाले बयान पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे, लोगों की जिंदगी बदलने का अभियान चला रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरुवार को बैतूल रवाना होने से पहले भोपाल एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। संविधान में 370 जैसी गलत धारा थी, जिसे बदलना चाहिए था तो उसे कश्मीर की बेहतरी के लिए बदलकर दिखाया। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है। किसान, युवा, गरीब मजदूर सब की जिंदगी बदलना, उनके जीवन में खुशहाली लाने की दिशा में नरेन्द्र मोदी की सरकार काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपने अंदर झांककर देखें, जब वह संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। संविधान बदलने का परिणाम ही रहा की तीन तलाक जैसे निर्णय को कांग्रेस ने बदल दिया। कांग्रेस का अतीत रहा है, जब आपातकाल जैसे खराब समय में उन्होंने जिस प्रकार से ज्यूडिशियरी के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसका भी अतीत का एक लंबा इतिहास है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इतना ही कहना चाहूंगा कि भाजपा सभी वर्गों के विकास को लेकर चलना चाहती है। सभी लोगों की बेहतरी के लिए, अन्याय और अव्यवस्था को बदलने के लिए सरकार बनाने में प्रधानमंत्री मोदी की अत्यंत आवश्यकता है। इसी कारण से हम इस चुनाव में पूरी ताकत से लगे हुए हैं।

भाजपा उम्मीदवार दुर्गादास उइके ने दाखिल किया नामांकन

मुख्यमंत्री गुरुवार को दोपहर करीब 12 बजे बैतूल पहुंचे थे। यहां हैलीपेड पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और सामाजिक संस्थाओं के प्रमुखों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वे बैतूल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी दुर्गादास उइके के नामांकन रैली में शामिल हुए। रैली बैतूल कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां मुख्यमंत्री डॉ. यादव की उपस्थिति में भाजपा प्रत्याशी दुर्गादास उइके ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह, लोकसभा चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक व विधायक हेमंत खंडेलवाल और पूर्व मंत्री कमल पटेल उपस्थित थे।

लोस चुनाव 2024 : शिवराज पहुंचे नर्मदापुरम, जनसभा में बोले-

सभी 29 सीटें जीतेगी भाजपा

भोपाल । प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति दल प्रचार-प्रसार में जुट गये हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को नर्मदापुरम पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में एक आमसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा मध्यप्रदेश में सभी 29 सीटें जीत रही है।

पूर्व मुख्यमंत्री सिंह चौहान गुरुवार को नर्मदापुरम पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। इसके बाद नर्मदापुरम नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में एक आमसभा को सबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी नर्मदापुरम में रिकॉर्ड वोट से जीतेगी। यहां से पार्टी भारी मतों से विजय होगी। इसके पीछे का कारण जनता के दिल में सिर्फ मोदी है। उन्होंने कहा कि, प्रदेश की 29 की 29 सीटें बीजेपी के पास आएंगी। कांग्रेस कहीं टिकने वाली नहीं है।

चुनाव ड्यूटी को लेकर शुरू हो गए दांव-पेंच:अब अतिथि शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाने कलेक्टरों को पत्र

भोपाल । प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए पहले और दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के साथ अब मतदान की तैयारियों पर 13 लोकसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों और कलेक्टरों की टीम ने फोकस किया है। इसके लिए चुनावी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। इस बीच संविदा कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं लगाने के मुख्य चुनाव आयुक्त के निर्देश तथा अतिथि शिक्षकों व परीक्षा मूल्यांकन में तैनात शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाने को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग के अफसरों के आदेश कलेक्टरों तक पहुंच रहे हैं। इसके बाद अब पहले से ही चुनाव के लिए कर्मचारियों का संकट झेल रहे कलेक्टरों के समक्ष और भी दिक्कतें होना तय हो गई है। हालांकि चुनाव आयोग अतिथि शिक्षकों और आउटसोर्स कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी में लगाने से मना कर चुका है।

संचालक ने लिखा पत्र :ताजा मामला लोक शिक्षण संचालनालय का है जहां से सभी कलेक्टरों के लिए फरमान जारी हुआ है कि अतिथि शिक्षकों की सेवाएं चुनाव कार्य में न ली जाएं। विभाग के संचालक की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अतिथि शिक्षकों की सेवाएं स्कूल शिक्षा विभाग में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 30 अप्रेल तक मान्य की गई हैं। इस तारीख के बाद अतिथि शिक्षकों को मानदेय भुगतान करने का प्रावधान नहीं है। इसलिए चुनाव के कार्य में अतिथि शिक्षकों को न लगाया जाए और अगर विशेष परिस्थिति में ऐसा करना जरूरी ही हो तो उनकी ड्यूटी 30 अप्रेल तक ही चुनाव कार्य में लगाई जाए।

आयुक्त ने झोन क्रमांक 5 का किया निरीक्षण

मेघदूत गार्डन, स्वच्छता अभियान एवं जीटीएस का किया निरीक्षण

इंदौर । आयुक्त शिवम वर्मा द्वारा प्रतिदिन शहर की सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के तहत आज झोन क्रमांक 5 मैं सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त सिद्धार्थ जैन मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अखिलेश उपाध्याय,अधीक्षण यंत्री महेश शर्मा,जोनल अधिकारी सतीश गुप्ता, सीएसआई, एनजीओ संस्था एचएमएस कैप्टन सनप्रीत सिंह नेगी एवं अन्य विभाग अधिकारी उपस्थित थे।

आयुक्त शिवम वर्मा द्वारा प्रतिदिन प्रात काल में शहर की सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के क्रम में आज विजयनगर चौराहा, सयाजी चौराहा, मेघदूत गार्डन, बापट चौराहा, न्याय नगर, सुखलिया चौराहा, चंद्रगुप्त मौर्य चौराहा, भानगढ़ रोड एवं अन्य आसपास के क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। आयुक्त शिवम वर्मा द्वारा सर्वप्रथम मेघदूत गार्डन का अवलोकन किया गया, मेघदूत गार्डन में आने वाले मॉर्निंग वॉकर और योगा करने वालो से गार्डन की सफाई व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की गई। आयुक्त द्वारा मेघदूत गार्डन के निरीक्षण के दौरान गार्डन में बनाए गए कंपोस्टिंग प्लांट सीटीपीटी व्यवस्था व्यवस्था में आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही मेघदूत गार्डन में स्थित नर्सरी का भी अवलोकन किया गया नर्सरी में सुधार और अच्छे पौधे लगाने के संबंध में निर्देश दिए गए। आयुक्त वर्मा द्वारा मेघदूत गार्डन के बाहर चौपाटी मार्केट में किसी भी प्रकार का अमानक प्रतिबंधित पॉलिथीन एवं डिस्पोजल का उपयोग नहीं किया जाता है।

आयुक्त वर्मा द्वारा जोन क्रमांक 5 वार्ड क्रमांक 33 के अंतर्गत पी सेक्टर में रहवासियों से डोर टू डोर कचरा संग्रहण के संबंध में चर्चा की गई, कचरा संग्रहण के लिए वाहन वहां समय पर आता है या नहीं और 6 बिन सेग्रीगेशन के संबंध में रहवासियों से चर्चा की गई। रहवासी द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा कचरा पृथक पृथक तो रखा ही जाता है साथ ही हम कंपोस्टिंग भी किया जाता है इसका अवलोकन भी आयुक्त द्वारा किया गया और अन्य नागरिकों को भी रहवासी द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए प्रेरित करने के लिए कहा गया। इसके पश्चात आयुक्त द्वारा न्याय नगर में कचरा संग्रहण कार्य का अवलोकन करते हुए रहवासियों से चर्चा की गई।

आयुक्त वर्मा द्वारा बापट चौराहा, सुखलिया चौराहा, चंद्रगुप्त मौर्य चौराहा होते हुए भानगढ़ रोड पर स्थित जीटीएस प्लांट का अवलोकन करते हुए रैम्प ठीक करने एवं आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए।

चुनाव में पर्सनल अटैक पर चुनाव आयोग सख्त तेज हुई व्यक्तिगत आरोप और टिप्पणी करने वाले नेताओं की तलाश

भोपाल। प्रदेश में नामांकन की प्रक्रिया तेज होने के साथ राजनेताओं पर व्यक्तिगत हमले और आरोप लगाने का सिलसिला भी तेज हो गया है। इसे देखते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से कहा है कि ऐसे मामलों में सख्ती बरतना है। जहां भी इस तरह के मामले सामने आएं वहां तुरंत जांच के बाद कार्यवाही करें।

माडल कोड आफ कंडक्ट का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई हर हाल में करना है। इसके बाद व्यक्तिगत आरोप और व्यक्तिगत बयानबाजी पर निगरानी तेज हो गई है। साथ ही सोशल मीडिया पर की जाने वाली पोस्ट की मानिटरिंग भी की जा रही है। चुनाव आयोग ने राजनैतिक दलों से अपेक्षा की है कि सभाओं, रैलियों, जुलूस के रूप में चुनाव प्रचार एवं जनसंपर्क के दौरान किसी भी प्रकार की विवादित टिप्पणियों अथवा व्यक्तिगत आरोपों से बचें। बिना अनुमति के रैली, जुलूस, सभा, प्रदर्शन अथवा वाहनों के माध्यम से प्रचार न करें। इसकी निगरानी किये जाने एवं अवांछनीय गतिविधियों पर पैनी नजर रखने

निगरानी दलों का गठन किया गया है। इधर इसी बीच कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों ने व्यक्तिगत आरोपों को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में एक दूसरे के विरुद्ध शिकायत भी की है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव पर छिंदवाड़ा की सभा में कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ को नालायक और अन्य अभद्र शब्द कहने का आरोप लगाया है तो बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के विरुद्ध राजगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान गलत शब्दावली करने का आरोप लगाया है।

सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर होगी कार्रवाई

व्यक्तिगत हमले और आरोप पर एक्शन के संकेत देने के साथ चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया की मानिटरिंग भी तेज करने के लिए कहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में राजनैतिक दलों, चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों एवं आम नागरिकों से कहा गया है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर किसी भी प्रकार से आपत्तिजनक पोस्ट न करें, तथ्यों, चित्रों, आडियो, वीडियो को तोड़-मरोड़कर पोस्ट न करें।

मतदान के पहले घंटे के लिए पुख्ता प्लानिंग करें- कलेक्टर

कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने भितरवार के सेक्टर व पुलिस अधिकारियों की ली संयुक्त बैठक

ग्वालियर। मतदान दिवस को मॉकपोल के बाद का पहला घंटा सबसे अहम होता है। सेक्टर अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी मतदान दिवस की तैयारियों को गंभीरता से लें। साथ ही अपने क्षेत्र के मतदान केन्द्रों के लिये अभी से सुनियोजित प्लानिंग करें। प्लानिंग ऐसी हो कि जरूरत पड़ने पर तत्काल संबंधित मतदान केन्द्र पर पहुँचकर मतदान को सुचारू कराया जा सके। इस आशय के निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने ?भतरवार विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर एवं पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक में दिए। कलेक्टर श्रीमती चौहान एवं पुलिस अधीक्षक श्री धर्मवीर सिंह ने इस अवसर पर सभी सेक्टर व पुलिस अधिकारियों को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सुचारू ढंग से मतदान सम्पन्न कराने के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

गुरूवार को भितरवार नगर पालिका के सभाकक्ष में आयोजित हुई बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने मतदान सामग्री के वितरण से लेकर मतदान के बाद ईवीएम सहित मतदान सामग्री की वापसी से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। साथ ही जोर देकर कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कर चुनाव सम्पन्न कराएँ। पुलिस अधीक्षक श्री धर्मवीर सिंह ने कहा कि मतदान केन्द्र से 100 मीटर की दूरी का दायरा अभी से तय कर चिन्हित कर दें, जिससे स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी हो जाए और मतदान दिवस को किसी प्रकार के विवाद की स्थिति या बल पूर्वक लोगों को हटाने की जरूरत न पड़े।

कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने बैठक में यह भी कहा कि चिन्हित बल्नरेबल व क्रिटिकल मतदान केन्द्रों से जुड़ी बसाहटों में कार्यपालक दण्डाधिकारियों सहित सभी सेक्टर अधिकारी और पुलिस अधिकारी संयुक्त रूप से सतत भ्रमण करें। साथ ही बल्नरेबिल्टी के लिये जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अभियान बतौर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करें, जिससे मतदाताओं में विश्वास कायम हो और वे बिना किसी दबाव में आए व लोभ लालच के बगैर निर्भीक होकर वोट डाल सकें। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू अरुण कुमार व एसडीएम भितरवार श्री डी एन सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं भितरवार विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर अधिकारी व उनके साथ संलग्न पुलिस अधिकारी मौजूद थे।

कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान एवं पुलिस अधीक्षक श्री धर्मवीर सिंह ने भ्रमण के दौरान भितरवार विधानसभा क्षेत्र के लगभग एक दर्जन मतदान केन्द्रों का भी जायजा लिया। जिनमें आंतरी के तीन मतदान केन्द्र शामिल हैं। इस दौरान कलेक्टर श्रीमती चौहान ने निर्देश दिए कि यथा संभव मतदान केन्द्र में प्रवेश व बाहर जाने के अलग-अलग रास्ते निर्धारित किए जाएँ।

रैली, मानव श्रृंखला व शपथ के माध्यम से दिया मतदान करने का संदेश

ग्वालियर। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से जिले में स्वीप (सिस्टमेटिक वोटर्स एण्ड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन) के तहत व्यापक स्तर पर मतदाता जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। इस कड़ी में गुरूवार को विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर दक्षिण के अंतर्गत रैली एवं मानव श्रृंखला के माध्यम से क्षेत्रीय मतदाताओं से आगामी 7 मई को अपने मताधिकार का उपयोग करने का आह्वान किया गया। साथ ही सभी को लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान करने की शपथ दिलाई गई।

हनुमान चौराहा व माधव कॉलेज होते हुए यह मतदाता जागरूकता रैली नई सड़क तक निकाली गई। रैली में राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी तथा महिला बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक व आंनगाबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित स्थानीय निवासियों ने भाग लिया। सारे काम छोड़ दो सबसे पहले वोट दो जैसे नारे लगाते हुए रैली आगे बढ़ी। रैली के साथ-साथ इस अवसर पर मानव श्रृंखला बनाकर मतदान के महत्व को रेखांकित किया गया। साथ ही सभी को प्रजातांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए अपने मताधिकार का उपयोग करने की शपथ दिलाई गई। इस आयोजन में नायब तहसीलदार रमाशंकर सिंह व बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीमती दीपिका सहित राजस्व व महिला-बाल विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए।

आम चुनाव का सारा खर्च सरकार उठावे- भाकपा

देश में जब-जब भी कोई चुनाव होते हैं उसमें कई तरह के पैंतरे बाजी का इस्तेमाल चुनाव लड़ने वाले विभिन्न दलों के उम्मीदवार करते हैं तथा एन केन प्रकारेण अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए अधिक खर्च करना आम वोटरों को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए प्रभावित करना वोटरों को नशा कराकर अपने पक्ष में वोट डलवाना डराना धमकाना चुनाव के पहले आम वोटरों को कई प्रकार के प्रलोभन देना यदि सरकार के मंत्री है तो कई तरह की घोषणाएं करके जनता को अपने पक्ष में मोड़ना आदि आदि का उपयोग किया जाता है इन सब कामों के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है और हर उम्मीदवार अधिक से अधिक राशि खर्च करके चुनाव जीत जाना चाहता है ऐसे में गरीब उम्मीदवार गरीब पार्टी का उम्मीदवार इन चुनाव से अपने आप बाहर हो जाता है और केवल पूंजी पति सांप्रदायिक फासीवादी उम्मीदवार ही जीत हासिल कर पाता है इस प्रकार से चुनाव जीतकर पूंजीपति ही शासन पर कब्जा कर लेता है।

अत: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव कामरेड डीडी वासनिक सहित राजेंद्र जायसवाल डॉक्टर डॉ बी सी ऊके तीर्थ प्रसाद गजभिए ओम प्रकाश बोर्ड अशोक साहू समद खान धनीराम बंडेवार किरण प्रकाश राहुल कुमार यीशु प्रकाश संजू डेहरिया अंगद सिंह बघेल आदि ने आम चुनाव में उम्मीदवारों का सारा खर्चा भारत सरकार द्वारा वहन करने का सुझाव दिया है ताकि सभी उम्मीदवारों द्वारा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए एक जैसा वातावरण एवं एक जैसी समान स्थिति उपलब्ध हो सके तथा गरीब और अमीर उम्मीदवारों में किसी तरह का कंपटीशन ना हो और उम्मीदवारों द्वारा अनाप-शनाप राशि खर्च न होकर बहुत ही स्वस्थ ढंग से उम्मीदवार चुनाव में जीत हासिल कर सके इसके लिए सभी उम्मीदवारों को टीवी और टेलीविजन में एक जैसा समय देकर अपनी-आप की बात रखने का अवसर दिया जावे तथा जनता के बीच में कुछ चुनिंदा स्थान पर जाकर उम्मीदवारों से अपनी अपनी बात अपने अपने सिद्धांत आम जनता के बीच में प्रसारित करें और आम जनता इन उम्मीदवारों में से अपनी पसंद का उम्मीदवार चुन सके इस प्रकार से सबको समान अवसर मिलेगा तथा आम जनता भी अपने प्रतिनिधि चुन सकेंगी।

रात में सड़क पर स्टंट करने वाले टमटम चालक पर पुलिस की कार्रवाई, टमटम जब्त

ग्वालियर। महाराज बाड़ा पर एक टमटम चालक ने अपनी टमटम (ई-रिक्शा) को लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये आम रास्ते पर बीती 1 अप्रैल की रात्रि खतरनाक तरीके से स्टंट किया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब ग्वालियर पुलिस ने आरोपी टमटम चालक को पकड़ कर टमटम को जब्त कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शियाज़ के.एम. ने बताया कि बीती एक अप्रैल की रात्रि को महाराज बाड़ा पर खतरनाक स्टंट करने वाले टमटम क्रमांक एमपी07आरए 7780 के चालक आशू शर्मा पुत्र राकेश उम्र 22 निवासी गुड़ा चक्की डॉग वाले बाबा के पास थाना माधौगंज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि टमटम चालक के स्टंट का वीडियो वायरल हुआ था। यह वीडियो पुलिस के संज्ञान में आने के बाद उप पुलिस अधीक्षक यातायात अजीत सिंह चैहान को कार्रवाई के लिये निर्देशित किया गया था। पड़ताल के दौरान यातायात पुलिस को जानकारी मिली कि महाराज बाड़ा पर टमटम क्रमांक एमपी07आरए 780 के चालक द्वारा खतरनाक तरीके से स्टंट किया गया था। इसका पता चलते ही कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान उक्त टमटम वाहन को पकड़ लिया और पूछताछ करने पर वाहन चालक ने अपना नाम आशू शर्मा पुत्र राकेश शर्मा उम्र 22 वर्ष निवासी गुड़ा चक्की डॉग वाले बाबा के पास थाना माधौगंज होना बताया। चेकिंग के दौरान उक्त टमटम (ई-रिक्शा) चालक नशे की हालत में वाहन चलाते पाया गया, जिस पर से उसका मेडीकल परीक्षण कराया जाकर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185, 184 एवं 130/177 के अंतर्गत चालानी कार्यवाही कर टमटम को जब्त किया है।

अवैध उत्खनन में लिप्त दो जेसीबी व चार वाहन जब्त

सौंसा क्षेत्र में खनिज विभाग की टीम ने की छापामार कार्रवाई

ग्वालियर। जिले में खनिज पदार्थों के अवैध उत्खनन, परिवहन व भण्डारण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस कड़ी में गुरूवार को ग्राम सोंसा के समीप खनिज विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई कर दो जेसीबी मशीन व दो मिनी पिकअप वाहन सहित चार वाहन जब्त किए हैं। जब्त किए गए वाहनों को उटीला थाने में पुलिस अभिरक्षा में रखवाया गया है। अवैध उत्खनन में लिप्त लोगों के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत प्रकरण कायम किए गए हैं।

कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने खनिज विभाग सहित जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को जिले में खनिज पदार्थों के अवैध उत्खनन पर कड़ाई से अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस काम में जरा भी ढिलाई न हो और छापामार कार्रवाई लगातार जारी रखी जाए।

जिला खनिज अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार सौंसा क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से ईंट भट्टों के लिये मिट्टी की खुदाई की जा रही थी। छापामार कार्रवाई कर अवैध उत्खनन में लिप्त मशीनें व वाहन जब्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

रैली, मानव श्रृंखला व शपथ के माध्यम से दिया मतदान करने का संदेश

ग्वालियर। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से जिले में स्वीप (सिस्टमेटिक वोटर्स एण्ड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन) के तहत व्यापक स्तर पर मतदाता जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। इस कड़ी में गुरूवार को विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर दक्षिण के अंतर्गत रैली एवं मानव श्रृंखला के माध्यम से क्षेत्रीय मतदाताओं से आगामी 7 मई को अपने मताधिकार का उपयोग करने का आह्वान किया गया। साथ ही सभी को लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान करने की शपथ दिलाई गई।

हनुमान चौराहा व माधव कॉलेज होते हुए यह मतदाता जागरूकता रैली नई सड़क तक निकाली गई। रैली में राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी तथा महिला बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक व आंनगाबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित स्थानीय निवासियों ने भाग लिया। सारे काम छोड़ दो सबसे पहले वोट दो जैसे नारे लगाते हुए रैली आगे बढ़ी। रैली के साथ-साथ इस अवसर पर मानव श्रृंखला बनाकर मतदान के महत्व को रेखांकित किया गया। साथ ही सभी को प्रजातांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए अपने मताधिकार का उपयोग करने की शपथ दिलाई गई। इस आयोजन में नायब तहसीलदार रमाशंकर सिंह व बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीमती दीपिका सहित राजस्व व महिला-बाल विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए।

स्वत्वाधिकारी/ प्रकाशक संपादक पी.डी. सोनी के लिए मुद्रक सुरेन्द्र ठाकुर कंचन ऑफसेट पंचवटी वस्त्र नगर कालोनी से मुद्रित एवं जटार गली लक्ष्मीगंज लश्कर ग्वालियर से प्रकाशित। संपादक : पीडी सोनी, (समाचार चयन हेतु पी.आर.वी. एक्ट के तहत जिम्मेदार) किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र ग्वालियर (म.प्र.) होगा, मो.नं. 94253-41799,8889498377 Email: pdsoni60@gmail.com